न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा

जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 2/2022 (111/2022)
प्रकरण रज्जु दिनांक 30.5.2022
निर्णय दिनांक 21.12.2023

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. अशोक पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा
2. रामगोपाल पुत्र हरसहाय जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह. बसवा
3. रामप्रताप पुत्र रामकुंवार जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1.सियाराम पुत्र हरबक्स जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा
2.गोपाल पुत्र हरबक्स जाति ब्राहमण निवासी ग्राम महलूनी तह.बसवा
3.राधेश्याम पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा
4.राजेश पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा
5.कृष्ण पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा
6.बाबूलाल पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा
7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21.12.2023

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से
एडवाकेट श्री नवीन कुमार

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 3 पुराना 3 के आराजी खसरा नंबर 171/329 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नंबर 189 रकबा 0.26 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टयर ग्राम महलूनी में स्थित है । जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त आराजीयात के पश्चिम में खसरा नंबर 171 एवं 188 स्थित हैं तो वहीं उत्तर दिशा में खसरा नंबर 345/342 के खातेदार अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 हैं । प्रार्थीगण की आराजियात से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण सीमाओं को लेकर विवाद करते हैं । प्रार्थीगण की आराजियात का सीमाज्ञान दिनांक 1.7.2021 को तहसीलदार बसवा के आदेश कमांक / भू.अ./2021/2626 दिनांक 21.6.2021 के द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चवुका है । अतः प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 171/329, 189 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टयर वाके ग्राम महलूनी का सीमाज्ञान रिपोर्ट 1.7.2021 के अनुसार भूमि की पत्थरगढी करवाई जावे ।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अप्रार्थीगण संख्या 1, 6 एवं 7 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को यथोचित समय प्रदान करने के उपरांत भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । लिहाजा उनका जवाब बंद किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संख्या खाता संख्या 3 ग्राम महलूनी की जमाबंदी प्रति पेश की । जमाबंदी संवत् 2076–79 के अनुसार प्रार्थीगण ही ग्राम महलूनी के आराजी खसरा नंबर 171/329 एवं 189 के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं । हमने दिनांक 1.7.2021 के मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम महलूनी का अवलोकन किया । सीमाज्ञान मौका पर्चा में अंकित किया है कि ''आज दिनांक 1.7.2021 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश कमांक / भू.अ./2021/2626 दिनांक 21.6.2021 की पालना में ग्राम महलूनी स्थित खसरा नंबर 189 रकबा 0.26 हैक्टयर, 171/329 रकबा 0.30 हैक्टयर का सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुँचा । सर्वप्रथम राजस्व नक्शे को मौका मुआवना किया गया । खसरा नंबर 191 गै.मु.चाह से जरीब चलाकर खसरा नंबर 134 गै.मु.चाह का सत्यापन किया जो सही पाया गया । खसरा नंबर 191 से जरीब चलाकर खसरा नंबर 195 का उत्तरी पूर्वी कौना मौके पर सत्यापन किया गया जो सही पाया गया । खसरा नंबर 187, 190 व 185 के मध्य स्थित तिमेडे को खसरा नंबर 186 गै.मु.चाह व खसरा नंबर 191 गै.मु.चाह से सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया, अब खसरा नंबर 134 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 191 का उत्तरी पूर्वी कोना, खसरा नंबर 191 गै.मु.चाह व खसरा नंबर 187, 190 व 185 के तिमेडे को मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नंबर 189/0.26 हैक्टयर व 171/329 रकबा 0.30 हैक्टयर का जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया एवं सभी कोनो पर निशानात लगवाये गये । प्रार्थना पत्र देहंदा मौके पर उपस्थित मिले । मौका पर्चा पढकर सुनाया गया उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये ।''

अतः प्रकरण के समग्र अवलोकन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण खातेदार अंकित खसरा नंबर 171/329, 189 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टयर वाके ग्राम महलूनी के काश्तकार खातेदार हैं एवं भूमि का दिनांक 1.7.2021 को तहसीलदार बसवा के निर्देशानुसार सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा खसरा नंबर 171/329, 189 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टयर वाके ग्राम महलूनी का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)